भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
12.05.2016 को राज्य सभा में
पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 2082

परमाणु ऊर्जा के सृजन में निजी भागीदारी

2082. श्री राजीव शुक्ल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पैदा हुई परमाणु ऊर्जा का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2017 तक कितनी परमाणु ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा पैदा करने में निजी कंपनियों को शामिल करने की कोई योजना है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) देश में पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 2014-15 तथा वर्ष 2015-16 के दौरान, नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से हुआ विद्युत उत्पादन क्रमश: 37835 मिलियन यूनिट (एमयू) तथा 37456 मिलियन यूनिट था।

(ख) वर्ष 2016-17 में नाभिकीय ऊर्जा के माध्यम से 40018 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है।

(ग) वर्तमान में, नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने वाली परियोजनाओं में भारतीय निजी क्षेत्र की भागीदारी, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगी। वर्तमान में, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनियां, संघटकों, उपस्करों की आपूर्ति तथा कार्य-ठेकों के माध्यम से नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भागीदारी कर रही हैं।

****